-1-

(176)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर म0प्र0

नि0 - 1672 - I - 16

1. श्रीमती सुमनबाई मिश्रा वेवा स्व0 राजेन्द्र कुमार मिश्रा
2. कमलेश मिश्रा आ0 भगवानदास मिश्रा
3. शैलेश मिश्रा आ0 भगवानदास मिश्रा

सभी निवासी – ग्राम खमरिया पोस्ट मुगवानी
तहसील व जिला नरसिंहपुर .... पुनरीक्षणकर्तागण

बनाम

1. मध्यप्रदेश शासन
2. बलराम पटैल आ0 रूपसिंह पटैल

निवासी – ग्राम मुगवानी
तहसील व जिला नरसिंहुपर ....उत्तरवादी

श्री संजय दुबे अधि0 द्वारा प्रस्तुत। केस नं0 1456 RS 20/5/16

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू–राजस्व संहिता 1959

पुनरीक्षणकर्तागण न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय नरसिंहपुर के राजस्व प्रकरण क्रमांक 880 ब/121 वर्ष 2014–15 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 28.4.2016 से परिवेदित होकर यह रिवीजन प्रस्तुत कर रहे हैं:–

पुनरीक्षण के तथ्य

1. यह कि उत्तरवादी क0 2 के द्वारा श्रीमान कलेक्टर महोदय नरसिंहपुर के समक्ष यह शिकायत प्रस्तुत की गयी कि मौजा मुगवानी में स्थित भूमि खसरा नंबर 42 रकवा 0.60 एकड़ भूमि भगवानदास मिश्रा एवं उसके परिवार के लोगों अर्थात पुनरीक्षणकर्तागण ने अवैद्य ढंग से हस्तांतरित करवा कर अतिक्रमण किया गया है तथा उक्त भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया जावे ।

2. यह कि उक्त प्रकरण में श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी नरसिंहपुर के द्वारा जांच प्रतिवेदन हेतु नायब तहसीलदार नरसिंहपुर के समक्ष भेजा गया तथा पुनरीक्षणकर्तागण के द्वारा अपने पक्ष समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत किये गये तथा निवेदन किया कि मौजा मुगवानी में स्थित भूमि खसरा नंबर 47 रकवा 0.583 हे0 एवं खसरा नंबर 42 रकवा 0.243 हे0 भूमि अपीलार्थी क्रमांक 1 के पति राजेन्द्र कुमार मिश्रा के द्वारा पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 23.5.1984 के जरिये लोकमन आत्मज बिहारीलाल ब्राम्हण साकिन खमरिया तहसील व जिला नरसिंहपुर से कय की थी तथा उक्त बैनामा के आधार पर राजेन्द्र कुमार मिश्रा का नाम राजस्व अभिलेख्यों में दर्ज हुआ था ।

3. यह कि राजेन्द्र कुमार मिश्रा के देहांत होने के बाद पुनरीक्षणकर्तागण के नाम से राजस्व अभिलेख्यों में दर्ज चली आ रही है अर्थात वर्ष 1984 के बाद से ही पुनरीक्षणकर्तागण के परिवार के व्यक्तियों के नाम

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 1672–एक/16 जिला – नरसिंहपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
24-8-16	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, नरसिंहपुर के प्रकरण कमांक 880/बी–21/14–15 में पारित आदेश दिनांक 28–4–16 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 2 द्वारा कलेक्टर, नरसिंहपुर को जन सुनवाई में दिनांक 31.3.15 को इस आशय की शिकायत पेश की गई कि मौजा मुगवानी स्थित भूमि खसरा नं. 42 रकबा 0.60 एकड़ भगवानदास मिश्रा एवं उसके परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा अवैध रूप से हस्तांतरित करवाकर अतिकमण किया गया है । अतः इसकी जांच कराई जाये । उक्त आवेदन पर से प्रकरण पंजीबद्ध कर नायब तहसीलदार ने पटवारी प्रतिवेदन बुलाए जाने एवं आवेदकों को आहूत करने के निर्देश दिए । तदुपरांत आवेदकों द्वारा अपना उत्तर पेश किया गया एवं पटवारी द्वारा भी अपना प्रतिवेदन पेश किया गया । नायब तहसीलदार ने दिनांक 15–2–16 को शिकायतकर्ताओं एवं आवेदकों द्वारा प्रस्तुत आवेदनों को संयुक्त करते हुए प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी को भेजा जिसमें लेख किया गया कि वर्ष 1976–77 से 1986–87 तक के लिए प्रश्नाधीन भूमि पट्टेदार लोकमन आत्मज बिहारी को प्रदान की गई पट्टा अवधि पूर्ण होने के पूर्व कलेक्टर की अनुमति के भूमि का विकय वर्ष 1984 में भगवानदास मिश्रा के पक्ष में किया गया । वर्तमान में केता के वारिसानों आवेदकों के नाम दर्ज है	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि हस्ताक्षर

प्रतिवेदन में बैनामे को संहिता की धारा 165 के प्रावधानों के उल्लंघन में मानते हुए कार्यवाही करने हेतु प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को प्रेषित किया । अनुविभागीय अधिकारी ने आलोच्य आदेश द्वारा नायब तहसीलदार को यह निर्देश दिए कि वे प्र0क0 31/अ–19/76–77 आदेश दिनांक 8–6–1977 निकालें व पट्टे की शर्तों के उल्लंघन में पट्टा निरस्त करने की कार्यवाही हेतु प्रकरण उन्हें भेजने के निर्देश दिए । इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि आवेदक के पूर्वज राजेन्द्र कुमार मिश्रा द्वारा मौजा मुगवानी की प्रश्नाधीन भूमि सर्वे नं. 42 रकबा 0.243 एवं अन्य भूमि खसरा नं. 47 रकबा 0.583 को लोकमन आत्मज बिहारीलाल ब्राहम्ण से पंजीकृत विकयपत्र दिनांक 23–5–1984 से कय किया गया है । उक्त विकयपत्र के आधार पर राजेन्द्र कुमार मिश्रा का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज हुआ था ।

यह तर्क दिया गया कि अनावेदक कमांक 2 द्वारा आवेदकों की भूमि पर अवैध कब्जा किया गया है जिसकी शिकायत उन्होंने पूर्व में की थी । आवेदकों द्वारा कई आवेदन उनके द्वारा 3 वर्षों से कय की गई भूमि के सीमांकन के आवेदन दिए जा रहे हैं परंतु नाप नहीं की गई । इस कारण अनावेदक कमांक 2 द्वारा झूंठी शिकायत की गई है । शिकायतकर्ता अनावेदक कमांक 2 के अतिरिक्त रविन्द्र पटेल जो कृषि उपज मंडी के अध्यक्ष हैं, के द्वारा भी आवेदक की भूमि पर अवैध कब्जा किया गया है आवेदक कमांक 2 उनके विरूद्ध मंडी का चुनाव लड़े थे इस कारण राजनीतिक द्वेषवश झूंठी शिकायत कराई गई है । अतः शिकायत के आधार पर की जा रही कार्यवाही अवैधानिक है । यह भी

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 1672–एक/16 जिला – नरसिंहपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी ने उक्त भूमि के विकेता लोकमन अथवा उनके वारिसों को सुनवाई का अवसर दिये बिना पट्टा निरस्त करने हेतु प्रस्ताव भेजने के निर्देश देना अवैधानिक है ।

यह भी तर्क दिया गया है कि आवेदक को प्रश्नाधीन भूमि कय किये हुए 32 वर्ष हो गये हैं, विकयपत्र के बाद ही आवेदकगण के पूर्वज तथा वर्तमान में आवेकदगण काबिज चले आ रहे हैं । यह भी कहा गाकि पंजीकृत विकयपत्र को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है ।

यह भी कहा गया कि विवादित भूमि का पट्टा मूल पट्टेदार को वर्ष 1977 में दिया गया है जबकि संहिता की धारा 165(7–ख) दिनांक 24–10–1980 को अंतःस्थापित की गई है, जिसे भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया गया है ऐसी स्थिति में पूर्व में दिए गए पट्टों की भूमि के अंतरणों पर संहिता की धारा 165(7–ख) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं । इस संबंध में उनके द्वारा न्यायदृष्टांत 2013 आर0एन0 8 उच्च न्यायालय का हवाला दिया गया है ।

यह तर्क दिया गया है कि अनुविभागीय अधिकारी ने वर्ष 1977 में दिए गए पट्टे को निरस्त करने के प्रस्ताव भेजने हेतु निर्देश 39 वर्ष बाद में दिए हैं जो अवैधानिक हैं । उक्त तर्कों के आधार पर उनके द्वारा शिकायत के आधार पर 32 वर्ष उपरांत प्रारंभ की गई कार्यवाही को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

5/ आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । इस प्रकरण में यह निर्विवादित है कि प्रश्नाधीन भूमि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आ के हस्ताक्षर
	का पट्टा लोकमन पिता बिहारीलाल को नायब तहसीलदार द्वारा राजस्व प्रकरण कमांक 31/अ–19/76–77 में पारित आदेश दिनांक 8–6–77 द्वारा दिया गया था । जिसका विकय लोकमन द्वारा आवेदकगण के पूर्वज राजेन्द्र कुमार मिश्रा को वर्ष 1984 में किया गया है । उक्त विकयपत्र के आधार पर राजेन्द्र कुमार मिश्रा का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया गया । राजेन्द्र कुमार मिश्रा की मृत्यु के उपरांत आवेदकगण का वारिसाना नामांतरण किया गया है । प्रश्नाधीन भूमि को कय करने के उपरांत आवेदकगण के पूर्वज एवं उनकी मृत्यु के उपरांत आवेदकगण निरंतर काबिज चले आ रहे हैं । पंजीकृत विकयपत्र के आधार पर किए गए नामांतरण को निरस्त करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है इस तथ्य को अनुविभागीय अधिकारी ने अनदेखा किया है । आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के जिस न्यायदृष्टांत 2013 आर0एन0 8 को उद्धरित किया गया है उसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 165 (7–ख) के संबंध में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि संहिता की धारा 165(7–ख) तथा 158(3) के उपबंध पूर्व के पट्टे तथा भूमिस्वामी अधिकार प्रदान किए गए प्रकरणों में लागू नहीं होगी क्योंकि इन उपबंधों को भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया गया है । संहिता की धारा 165(7–ख) वर्ष 1980 से अंतःस्थापित की गई है । वर्तमान प्रकरण में मूल पट्टेधारी लोकमन को भूमि वर्ष 1976–77 से पट्टे पर दी गई है अतः इस प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय का उक्त न्यायदृष्टांत 2013 आर0एन0 8 पूरी तरह लागू होता है । माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के प्रकाश में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत नहीं है । 5/ यहां यह उल्लेख करना भी आवश्यक प्रतीत होता है कि अनुविभागीय	

शासन आ
पक्षकारों एवं
अभिभाषकों आ
हस्ताक्षर

श्रीमती सुमनबाई आदि विरूद्ध म.प्र. शासन आदि

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 1672–एक/16

जिला – नरसिंहपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	अधिकारी ने नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 31/अ–19/76–77 में पारित आदेश दिनांक 8–6–77 द्वारा दिए गए पट्टे को निरस्त करने की कार्यवाही हेतु प्रकरण भेजने के निर्देश 39 वर्ष उपरांत दिए गए हैं, 39 वर्ष की अवधि किसी भी स्थिति में न्यायिक एवं विधिसम्मत नहीं है इस संबंध में न्यायदृष्टांत 1998 (1) म0प्र0 वीकली नोट्स 26 एवं न्यायदृष्टांत न्यायदृष्टांत 2010 (4) MPLJ 178 (रनवीर सिंह मृतक वारिसान किशोरी सिंह एवं अन्यतथा म0प्र0 शासन) अवलोकनीय है । न्यायदृष्टांत 1998 (1) म0प्र0 वीकली नोट्स 26 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक वर्ष की अवधि को, किसी प्रकरण को स्वमेव निगरानी में लेने हेतु युक्तियुक्त अवधि नहीं माना गया है । इसी प्रकार न्यायदृष्टांत 2010 (4) MPLJ 178 (रनवीर सिंह मृतक वारिसान किशोरी सिंह एवं अन्य तथा म0प्र0 शासन) में म0प्र0 उच्च न्यायालय की पूर्णपीठ द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालयों के अनेक न्यायदृष्टांतों का संदर्भ देते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया है कि – '' भू–राजस्व संहिता, म0प्र0 (1959 का 20) धारा – 50 पुनरीक्षण संहिता की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा शक्तियों का प्रयोग, उसके अधीनस्थ किसी राजस्व अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाहियों की अवैधता, अनौचित्यता तथा अनियमितता की जानकारी की तारीख से 180 दिन की अवधि के भीतर किया जा सकता है भले ही अचल संपत्ति शासकीय भूमि हो अथवा उसमें कोई लोकहित हो । '' अनुविभागीय अधिकारी द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर

न्यायालय के न्यायदृष्टांतों को अनदेखा किया गया है । इस कारण उनका आदेश विधिसम्मत न होने से स्थिर नहीं रखे जा सकते ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 28–4–16 अवैधानिक होने से निरस्त किया जाता है एवं आवेदकगण के विरूद्ध शिकायत के आधार पर प्रारंभ की गई कार्यवाही समाप्त किये जाने के निर्देश दिए जाते हैं ।

उभयपक्ष सूचित हों एवं अभिलेख वापिस हों ।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर